राजीव गाँधी किसान न्याय योजना

छत्तीसगढ़ शासन

गढ़बो नवा छत्तीसगढ़

RGKNY

rgkny.cg.nic.in

छत्तीसगढ़ शासन

सत्यमेव जयते

छ.ग.शासन कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

RGKNY एक परिचय

RGKNY

योजना का उद्देश्यः-

1. फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करना।

2. फसल क्षेत्राच्छादन, उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि।

3. फसल के कास्त लागत की प्रतिपूर्ति कर कृषको के शुद्ध आय में वृद्धि करना।

4. कृषको को कृषि में अधिक निवेश हेतु प्रोत्साहन।

5. कृषि को लाभ के व्यवसाय के रुप में पुर्नस्थापित करते हुए जी.डी.पी. में कृषि क्षेत्र की सहभागिता में वृद्धि।

हितग्राही की पात्रताः-

1. समस्त श्रेणी के भू-स्वामीएवं वन पट्टाधारी कृषक योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र होंगे।
2. संस्थागत भू-धारक कृषक इस योजना अंतर्गत पात्र नहीं होंगे।
3. रेगहा/बटाईदार/समेममकृषक योजना अंतर्गत पात्र नही होंगे।
4. संबंधित मौसम में भुंइया पोर्टल में संधारित गिरदावरी के आंकड़े तथा कृषक के आवेदन में अंकित फसल व रकबे, में से जो भी कम हो, उक्त फसल व रकबे को आदान सहायता राशि की गणना हेतु मान्य की जाएगी।
5. कृषकों को आदानसहायताराशि प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र के साथ राजीव गांधी किसान न्याय योजना पोर्टल पर पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। अपंजीकृत कृषकों को योजनांतर्गत अनुदान की पात्रता नहीं होगी।
6. योजनांतर्गत सम्मिलित फसलों पर ही आदान सहायता देय होगा।
7. योजनांतर्गत पात्रता निर्धारण करते समय कृषि भूमि सीलिंग कानून के प्रावधानों का ध्यान रखा जाए।
8. आवेदन पत्र में गलत जानकारी देकर सहायता राशि प्राप्त करने वाले कृषकों सेभू-राजस्व संहिता के प्रचलित प्रावधान अनुसार राशि की वसूली की जाएगी।
9. पंजीकृत कृषक की मृत्यु हो जाने पर तहसीलदार के द्वारा परिवार के नामांकित व्यक्ति के नाम से आदान सहायता राशि प्रदान की जाएगी।

RGKNY- मुख्य पृष्ठ

RGKNY

RGKNY सॉफ्टवेयर में मुख्यत: दो प्रकार के लॉगिन उपलब्ध है:-

(1) RAEO

(2) सोसाईटी

नोट:-

1. RAEO को एग्री-कोष का यूजर आई.डी. तथा पासवर्ड उपयोग करना है |
2. SOCEITY को धान खरीदी का यूजर आई.डी. का उपयोग करना है तथा पासवर्ड पूर्व वर्ष में आपको प्राप्त हो चुका है |

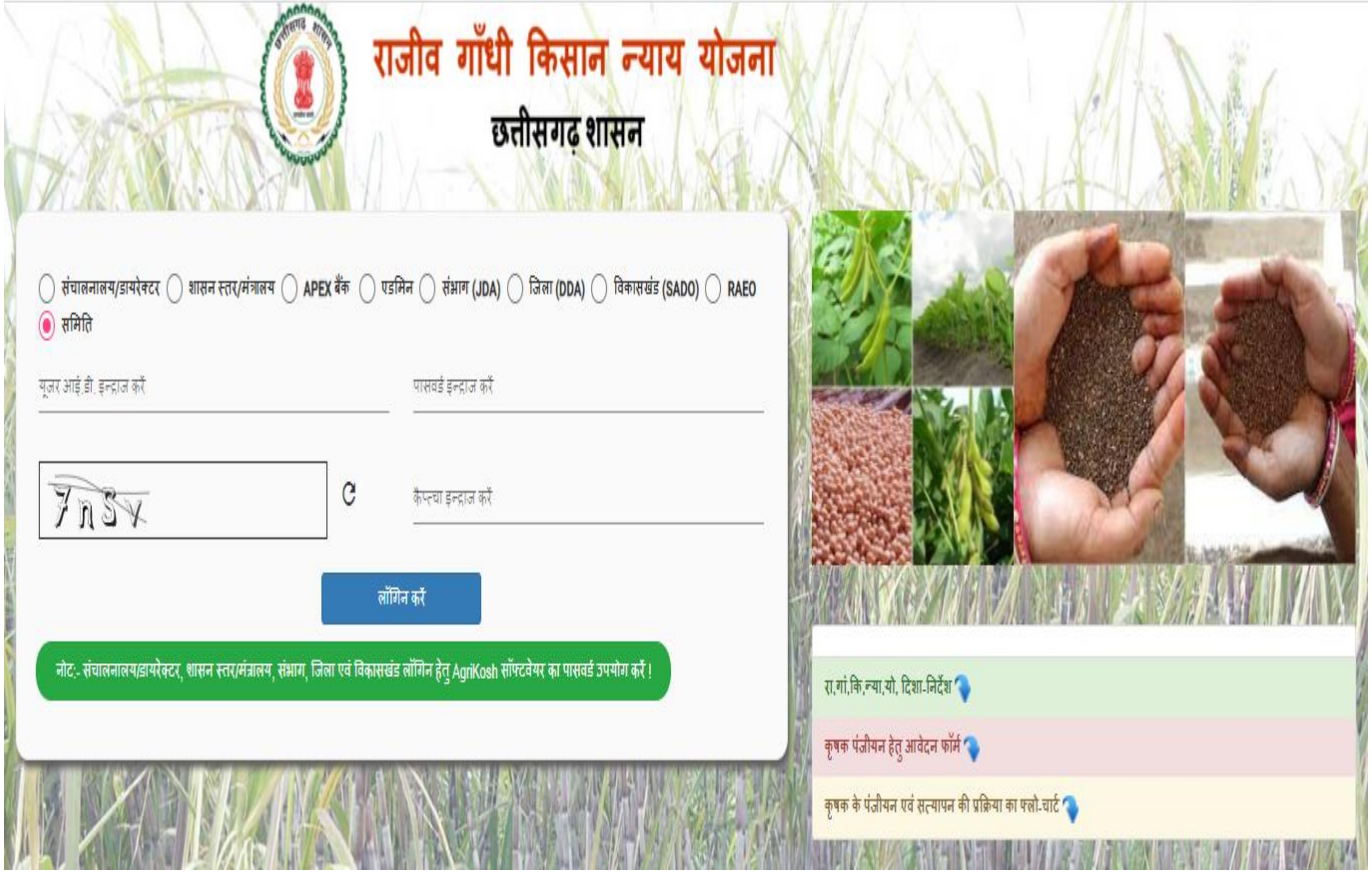

RGKNY- RAEO लॉगिन

RGKNY

लॉगिन पेज पर दिये हुये रेडियों बटन में RAEO का चुनाव करते हुए RAEO आईडी तथा पासवर्ड डालकर लॉगिन बटन पर क्लिक करने पर चयनित RAEO का लॉगिन हो जायेगा।

लॉगिन कर " **कृषक सत्यापन** " मेनू क्लिक करे | सत्यापन स्क्रीन प्रदर्शित होगा, जिसमें कृषक के ग्राम का चयन कर एवं कृषक का आधार नम्बर प्रविष्ट कर "**सुरक्षित करे**" पर क्लिक करें |

पोर्टल पर ऑनलाइन सत्यापन करते समय सावधानी से सही ग्राम का चयन करें | गलत ग्राम का चयन होने पर सबंधित समिति में कृषक का पंजीयन नहीं हो पायेगा |

यदि RAEO कृषक का भूमि विवरण भुईया से देखना चाहते है तो "**भुईया से भूमि का विवरण देखे**" पर क्लिक कर देख सकते है | जानकारी प्राप्त करने हेतु कृषक का ग्राम तथा खसरे का विवरण देना होगा।

RAEO केवल अपने कार्यक्षेत्र में आने वाले ग्राम के कृषक का सत्यापन कर सकेंगे | साथ ही RAEO इस बात का ख्याल रखे कि प्रत्येक ग्राम हेतु कृषक से केवल एक आवेदन स्वीकार करें |

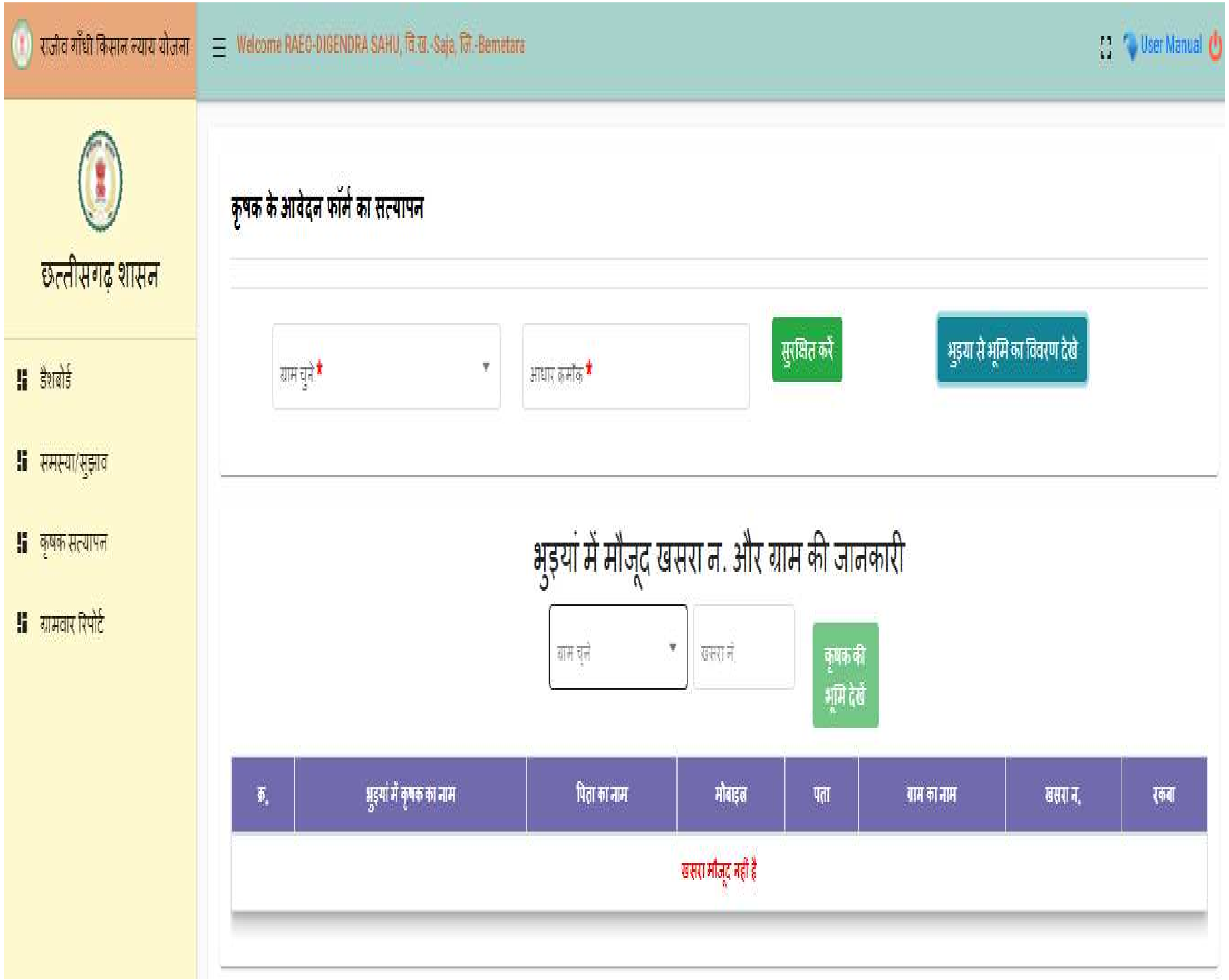

ध्यान देने योग्य बातें –

1. कृषक के आवेदन के सत्यापन का आशय यह है कि RAEO द्वारा कृषक के आवेदन में उल्लेखित विवरण जैसे नाम, ग्राम, आधार नं., बैंक विवरण , कुल धारित रकबा, खसरा नं. इत्यादि तथा संलग्न दस्तावेजों जैसे ऋण पुस्तिका, बी-1, आधार कार्ड , पासबुक इत्यादि का परीक्षण/सत्यापन किया है |

2. आवेदन प्रपत्र के फसलो का विवरण की तालिका में खसरा क्र. अनिवार्य रूप से अंकित करावे |

3. पोर्टल पर ऑनलाइन सत्यापन करते समय सावधानी से सही ग्राम का चयन करें | ग्राम का चयन गलत होने पर सबंधित समिति में कृषक का पंजीयन नहीं हो पायेगा |

4. यदि RAEO ने किसी ग्राम में कृषक का सत्यापन किया है, तो ये सत्यापित किसान उस समिति में दिखेगा जिसमें यह ग्राम मैप है !

5. RAEO इस बात का ख्याल रखे की एक आवेदन फॉर्म में केवल एक ग्राम की जानकारी स्वीकार करें |

6. किसी प्रकार के समस्या से अवगत/समाधान हेतु समस्या/सुझाव पेज का उपयोग करे|

- धन्यवाद -